

न्यूज़ डुडे

क्वाड (Quad) नेताओं की प्रथम बैठक आभासी रूप में (Virtual Summit) आयोजित की गई

○ शिखर सम्मेलन के दौरान आरंभ की गई प्रमुख पहलें:

<p>क्वाड वैक्सीन साझेदारी (Quad Vaccine Partnership)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की किसी भी महामारी संबंधी स्थितियों से निपटने के लिए एक संयुक्त टीका आपूर्ति श्रृंखला (joint vaccine supply chain) विकसित की जाएगी। <ul style="list-style-type: none"> ➢ टीके को अमेरिका में विकसित, भारत में निर्मित, जापान और अमेरिका द्वारा वित्तपोषित और संचार (logistics) के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया द्वारा समर्थित किया जाएगा। ○ एक क्वाड वैक्सीन विशेषज्ञ समूह का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा: <ul style="list-style-type: none"> ➢ क्वाड कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार करना। ➢ समय पर और पर्याप्त क्षमता विस्तार की निगरानी के लिए वित्त-पोषकों और उत्पादन सुविधाओं के साथ कार्य करना। ➢ हिंद-प्रशांत स्वास्थ्य सुरक्षा और कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए सरकारी योजनाएं साझा करना तथा जरूरतमंद समुदायों के लिए "अंतिम-स्थिति" तक वितरण पर व्यावहारिक सहयोग स्थापित करना। ➢ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भांति जीवन रक्षक कार्यों को सुदृढ़ करना और समर्थन करना आदि।
<p>क्वाड जलवायु कार्य समूह (Quad Climate Working Group)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ क्वाड और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के रूप में जलवायु चुनौती की पहचान करना, इसके प्रमुख कार्य-क्षेत्रों में शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> ➢ पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग करना। ➢ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी का समर्थन करने के लिए अत्युत्सर्जन प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहन देना। ➢ जलवायु शमन, अनुकूलन, लचीलापन, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जलवायु वित्त आदि पर सहयोग करना।
<p>क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप (Quad Critical and Emerging Technology Working Group) / Quad Critical and Emerging Technology Working Group</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसके निम्नलिखित कार्य हैं: <ul style="list-style-type: none"> ➢ प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास और उपयोग पर सिद्धांतों का ढांचा विकसित करना; ➢ प्रौद्योगिकी मानकों के विकास पर समन्वय को सुगम बनाना; ➢ दूरसंचार उपकरणों के संस्थापन पर सहयोग को प्रोत्साहित करना, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और भविष्य के दूरसंचार विकल्पों के विविधीकरण पर विशेष ध्यान देना। ➢ जैव प्रौद्योगिकी सहित महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में सहयोग करना।


○ चतुर्भुजिय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के बारे में

- क्वाड का विचार सर्वप्रथम जापान के प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2007 में चार देशों— अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय विभिन्न कारणों से महत्व प्राप्त नहीं कर सका था।
- देशों के बीच बढ़ते विवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र का वर्धित महत्व, चीन की ओर से बढ़ते खतरे की आशंकाओं आदि के कारण वर्ष 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया था।
- क्वाड का मुख्य फोकस एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थापना पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) [Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)] ने उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी की लाइसेंसिंग पर परामर्श पत्र प्रेषित किया

- इससे पूर्व, उपग्रह-आधारित लो बिट-रेट सेवाओं (Satellite & based low bit & rate services) के लिए मौजूदा ढांचे में निहित सीमाओं को आधार बनाते हुए, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से इसके लिए उपयुक्त लाइसेंस ढांचे के निर्माण का अनुरोध किया था:
 - वाणिज्यिक आधार पर ऐसी सेवाएं प्रदान करना।
 - भारतीय रेलवे, अन्य बेड़ा स्वामियों (fleet owners), आपदा प्रबंधन एजेंसियों आदि जैसे संगठन, जिन्हें अपने स्वयं के उपयोग के लिए कैंटिव नेटवर्क (एक प्रकार का बंद नेटवर्क) स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- उपग्रह-आधारित सेवाएं, तांबे के तारों और फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से कनेक्ट करने की बजाय, सैटेलाइट डिश के द्वारा इंटरनेट को एक क्षेत्र में संकेंद्रित करने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों के उपयोग पर बल देती हैं।
- यह सैटेलाइट टेलीविजन डिश के समरूप है, किंतु टीवी डिश के विपरीत है, जो केवल डेटा प्राप्त करती है। सैटेलाइट इंटरनेट डिश, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कनेक्शन दोनों प्रदान करती हैं।
 - सैटेलाइट संचार का उपयोग अधिकांशतः पोतों, विमानों व दूरस्थ सैन्य केंद्रों पर किया जाता है।
 - लाभ: यह देश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इंटरनेट कवरेज प्रदान कर सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित सेवाओं आदि के लिए उपयुक्त है।

- लो-बिट-रेट उपग्रह-आधारित संचार के कुछ अनुप्रयोगों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (वाहन बेड़ा प्रबंधन), समयबद्ध डिलीवरी, रियल टाइम लोकेशन, सूचीकरण, शीत श्रृंखला प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- सीमाएँ: बैलविद्य संबंधी सीमाएँ, कम विलंब, मौसमी आपदाओं से प्रभावित और महंगी होना।



बामियान बुद्ध मूर्तियों की विरासत और आभासी पुनर्स्थापना

- हाल ही में, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को "ए नाइट विद बुद्ध" नामक एक आयोजन में 3D प्रोजेक्शन के रूप में पुनः जीवंत किया गया।
 - ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में, तालिबान ने अफगानिस्तान की बामियान घाटी में बुद्ध की दो स्मारक मूर्तियों को विस्फोट से नष्ट कर दिया था।
 - बामियान बुद्ध मूर्तियों का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था और एक समय ये विश्व में सबसे अधिक अवधि तक अस्तित्व में रही बुद्ध की सबसे लंबी खड़ी मुद्रा में मूर्तियां थी।
 - उन्हें स्थानीय रूप से सलसल (Salsal) जिसका अर्थ है "समूचे ब्रह्मांड में चढ़ीत प्रकाश" (light shines through the universe) और शमामा (Shamama) जिसका अर्थ है "रानी माता" (Queen Mother) के रूप में जाना जाता था।
 - ये मूर्तियाँ, मध्य एशियाई क्षेत्र में बौद्ध कला की गांधार शैली का प्रतिनिधित्व करती थीं।
 - रोमन वस्त्र विन्यास में लिपटी और दो भिन्न-भिन्न मुद्राओं के साथ, बामियान बुद्ध गुप्त (Gupta), सासानी (Sasanian) और यूनानी (हेलेनिस्टिक) कलात्मक शैलियों के संगम का उत्कृष्ट उदाहरण थीं।
 - हेलेनिस्टिक काल प्राचीन यूनान में एक युग को संदर्भित करता है, जो 323 ईसा पूर्व से 31 ईस्वी तक था।
 - सासानी, प्राचीन ईरानी राजवंश को संदर्भित करता है, जिसने 224-651 ईस्वी के दौरान शासन किया था।
- बामियान घाटी अफगानिस्तान की मध्य उच्चभूमि में हिंदूकुश पर्वतों में बामियान नदी के समीप स्थित है।
 - यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में बामियान घाटी के अवशेषों को शामिल किया था।

पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 [Plastic Waste Management (Amendment) Rules] 2021 का प्रारूप जारी किया

- प्रारूप नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Plastic Waste Management Rules: PWMR), 2016 में संशोधन पर केंद्रित हैं।
- प्रमुख निष्कर्ष:
 - यह एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की कई श्रेणियों पर निम्नलिखित तरीके से चरणबद्ध प्रतिबंध प्रस्तावित करता है।
 - ये नियम, प्रथम बार, एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) को ऐसी प्लास्टिक-वस्तु के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे निपटान या पुनर्नवीनीकृत करने से पूर्व एक ही उद्देश्य के लिए एक बार उपयोग किया जाता है।

30 सितंबर 2021 से

- गैर-बुने प्लास्टिक कैंरी बैग की प्रत्येक शीट, जो मोटाई में 60 (GSM) या ग्राम प्रति वर्ग मीटर) या 240 माइक्रोन से कम नहीं होगी, प्रतिबंधित की जाएगी।

1 जनवरी 2022 से

- प्लास्टिक स्टिक्स से निर्मित इयर बड्स, गुब्बारे के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झड़े, आइसक्रीम स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन (थर्माकोल) पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

1 जुलाई 2022 से

- प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई बॉक्स पर फिल्मों को लपेटना / पैकिंग करना; निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक / पीवीसी बैनर, स्टिरर (Stirrer) आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

STATUS OF DOMESTICALLY GENERATED PLASTIC WASTE IN INDIA

40% of generated waste remains uncollected everyday

Plastic waste generation
25,940
tonnes/day (TPD)

Plastic waste collection
15,564 TPD
(60% of total)

Uncollected plastic waste
10,376 TPD
(40% of total)

- ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, निर्माता, आयातक और निर्माता के साथ-साथ ब्रांड-मालिक व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइक्लर), सह-प्रसंस्करणकर्ता आदि पर लागू होंगे।
- खाद बनाने योग्य प्लास्टिक (Compostable) सामग्री से निर्मित वस्तुओं (कैंरी बैग सहित) पर लागू नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय (SC) ने स्पष्ट किया है कि राज्य सेवारत नौकरशाहों को निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioners: EC) नियुक्त नहीं कर सकते

- SC ने स्पष्ट किया कि एक सरकारी कर्मचारी या नौकरशाह को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
 - SC ने मत व्यक्त किया कि राज्यों को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए।
 - यह निर्णय, गोवा से संबद्ध एक मामले में दिया गया है, जहां सरकार द्वारा विधि सचिव को राज्य निर्वाचन आयोग का 'अतिरिक्त प्रभार' (additional charge) सौंपा गया था।
- भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हैं, जिन्हें निम्नलिखित सेवा शर्तों तथा अधिदेश के साथ गठित किया गया है:

संस्थान	मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)	निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioners)	राज्य निर्वाचन आयुक्त (State election commissioner)
किसके द्वारा नियुक्ति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राज्यपाल
पदच्युति	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान	CEC की अनुशंसा पर	न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान
कार्यकाल	65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक, जो भी पहले हो	CEC के समान	राज्यवार भिन्न-भिन्न होता है
शासनादेश/ अधिदेश	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न करवाना	CEC के समान	नगर निकायों और पंचायतों के लिए चुनाव संपन्न करवाना।

अन्य सुर्खियाँ

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (Places of Worship (Special Provisions) Act] 1991)	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र से प्रतिक्रिया की मांग की है। ○ यह अधिनियम पूजा के किसी भी स्थान में परिवर्तन करने को प्रतिबंधित करता है और पूजा के किसी भी स्थान की धार्मिक प्रकृति को यथावत बनाए रखने का प्रावधान करता है, जैसा कि यह अगस्त, 1994 के 15वें दिन अस्तित्व में था। ○ यह पूजा के प्रत्येक स्थान के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक दायित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। ○ हालांकि, इस अधिनियम ने अयोध्या के विवादित स्थल को शामिल नहीं किया है।
आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल (Atmanirbhar Niveshak Mitra Portal)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस पोर्टल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade% DPIIT), द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य थ्रू निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। ○ यह पोर्टल सूचनाओं का प्रसारण और सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करके निवेशकों की सहायता करेगा। ○ यह परियोजना "इन्वेस्ट इंडिया" (Invest India) एजेंसी के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2009 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।
ईट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम (ई-3) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम [Energy Efficiency Enterprise (E3) Certifications Programme for Brick manufacturing Sector]	<ul style="list-style-type: none"> ○ विद्युत मंत्रालय द्वारा E3 प्रमाण योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ईट निर्माण क्षेत्र में विशाल ऊर्जा प्रभाव क्षमता का दोहन करना है। ➢ यह योजना ऊर्जा कुशल ईटों के निर्माण हेतु अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए नेतृत्व प्रदान करेगी। इस प्रकार निर्मित ईटें ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Buildings Code: ECBC) की प्रमुख अर्हताओं को पूरा करने में उपयोगी सिद्ध होंगी। ○ ईट क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 0-7% का योगदान करता है और 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए मौसमी रोजगार प्रदान करता है।
विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को GST के अधीन लाया जा सकता है [Aviation Turbine Fuel (ATF) may be brought under GSTA	<ul style="list-style-type: none"> ○ ध्यातव्य है कि विमानन उद्योग द्वारा लंबे समय से ATF को GST व्यवस्था के अधीन लाए जाने की मांग की जा रही है। ○ ATF या जेट ईंधन की लागत भारत में एक एयरलाइन की परिचालन लागत का 45-55% है। भारत में एयरलाइन की परिचालन लागत विश्व में सबसे अधिक है। ○ GST व्यवस्था से अन्य अपवर्जित श्रेणियां हैं: मानव उपभोग के लिए अल्कोहल; कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम उत्पाद; विद्युत आदि।
ब्यूरो ऑफ आउटररीच (Bureau of Outreach Communication)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह मीडिया रणनीति पर सरकार के लिए एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है। ○ यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण और शहरी लोगों को सूचित व शिक्षित करने हेतु अभियान का संचालन करता है। ○ इसे वर्ष 2017 में भूतपूर्व विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising and Visual Publicity% DAVP), क्षेत्र प्रचार निदेशालय (Directorate of Field Publicity) तथा गीत और नाटक प्रभाग (Song & Drama Division) के एकीकरण द्वारा स्थापित किया गया था।